

## अनुबंध - 4

(विधिक अस्तित्व रखने वाले ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में स्व घोषणा)

मैं वचन देता हूँ कि मेरी केवाईसी जानकारी जो बैंक में पहले ही जमा की जा चुकी है कोई परिवर्तन नहीं है।

खाताधारक का नाम .....

खाता/ग्राहक आईडी संख्या .....

संपर्क/मोबाइल संख्या:.....

**विधिक अस्तित्व का पंजीकृत पता.....**

शहर ..... पिन कोड ..... राज्य .....

देश .....

परिचालन का तरीका ..... विलेख/ संकल्प विलेख के अनुसार /..... ..

मैं/हम विधिक अस्तित्व की ओर से यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि पैन नं..... /फॉर्म 60 (जो भी लागू नहीं है उसे काट दिया जाए) पहले ही जमा कर दिया गया है।

(.....)  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 1

(.....)  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 2

(.....)  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 3

\*\*आवश्यक स्थान

#लाभार्थी स्वामी की जानकारी पहले उपलब्ध नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी स्वामी घोषणा प्रस्तुत की जाए। कंपनी/साझेदारी खातों के लिए पैन अनिवार्य है।

शाखा के उपयोग के लिए/**FOR BRANCH USE**

ग्राहक को पावती की तारीख/**Date of acknowledgement to customer:.....**

..... को सीबीएस में सत्यापित ..... द्वारा सीबीएस से हस्ताक्षर सत्यापित

Verified in CBS on..... Signature Verified from CBS by .....

(अधिकारी के हस्ताक्षर Sign of Official)

ग्राहक पावती

खाता/ग्राहक आईडी संख्या .....

पुनः केवाईसी हेतु प्राप्त घोषणा और दस्तावेज

पावती की तारीख ..... बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर